हाईकोर्ट | तीन अन्य याचिकाओं की तैयारी

क्रूज हादसा मामला हाईकोर्ट पहुंचा, दो याचिका दायर

जबलपुर। क्रूज हादसे मामले में लापरवाही के दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने तथा निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गयी है। इसके अलावा तीन अन्य याचिका शीघ्र दायर किये जाने वाली है। पुलिस प्रशासन के द्वारा क्रूज चालक तथा क्रू सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह जिला न्यायालय में किया गया है।

गौरतलब है कि 30 अप्रैल की शाम को तेज हवाओं के कारण नर्मदा नदी के बरगी बांध में पर्यटन विकास निगम का क्रूज अनियंत्रित होकर पलट गया था। इस हादसे में आठ महिला, चार बच्चों सहित 13 व्यक्तियों की मौत हो गयी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन कर 28 व्यक्तियों को बचा लिया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान क्रूज को बाहर निकाल लिया गया था और सर्चिंग कार्य के दौरान उसे टुकडो में काट दिया गया था।

क्रूज हादसे को संज्ञान में लेते हुए जिला न्यायालय ने मंगलवार को चालक सहित अन्य सदस्यों के खिलाफ बरगी थाना प्रभारी को दो दिनों में एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किये थे। जेएमएफसी डी पी सूत्रकार ने बरगी हादसे के संबंध में समाचार पत्र तथा सोशल मीडिया में प्रकाशित खबरों को संज्ञान में लेते हुए अपने आदेश में कहा है कि प्रकाशित खबरों के अनुसार चालक के द्वारा क्रूज अपेक्षा पूर्वक नहीं चलाया गया। जिसके कारण क्रूज डूबने से कई व्यक्तियों की मौत हो गयी। चालक स्वयं क्रूज की गतिविधियों से परिचित होने पर भी उसके सवार यात्रियों को डूबता छोड़कर सकुशल बच निकला। उसके द्वारा उन्हें बचाने के कोई प्रयास न किया जाना धारा 106 भारतीय न्याय संहिता 2023 और धारा 110 अपराधिक मानव वध करने के प्रयत्न को दर्शाता है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच नहीं हुई तो भविष्य में क्रूज संचालन या नाव संचालित करने वाला कोई भी व्यक्ति अनहोनी होने पर लोगों को डूबता हुआ छोड़ेगा और इस कार्य की पुनरावृत्ति होगी।

पुलिस के द्वारा गुरूवार को जिला न्यायालय में एफआईआर दर्ज करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह करते हुए आवेदन पेश किया गया। आवेदन में कहा गया था कि घटना में मृत व्यक्तियों के संबंध में अलग-अगल मर्ग कायम कर जांच जारी है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। जिसके कारण विवेचना में समय लग सकता है। पुलिस के आवेदन पर आदेश प्रतिक्षित है।

कृषि भूमि से सडक़ निकालने पर जवाब-तलब

मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ ने कृषि भूमि से सडक़ निकालने के आरोप पर जवाब-तलब किया है। इस संबंध में न्यायालय ने राज्य शासन, राजस्व विभाग, कलेक्टर जबलपुर, खन्ना बिल्डर्स, सतपुड़ा इन्फ्राकाम, पूर्व तहसीलदार विवेक त्रिपाठी सहित 12 अनावेदकों को नोटिस जारी किये हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को नियत की गई है।याचिकाकर्ता शक्ति नगर निवासी विनोद कुमार चाटे व शांति नगर निवासी अधिवक्ता वंदना श्रोती की ओर से अधिवक्ता पुनीत श्रोती ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जबलपुर के दो बिल्डरों और एक पूर्व तहसीलदार ने खेती की जमीन पर सडक़ बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। खेती की करीब ढाई एकड़ जमीन नयागांव में स्थित है, जिसका अभी तक डायवर्सन नहीं हुआ है। जमीन के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा किया और वहां पर 15 मीटर चौड़ी सडक़ बना दी गई है। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को बार-बार शिकायतें देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

पंजीकृत स्नातक के चुनाव कराये जायेंगे दिसम्बर तक

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पंजीकृत स्नातक का चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी है। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने समक्ष याचिका की सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति तथा रजिस्ट्रार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। उनकी तरफ से एकलपीठ को बताया गया कि चुनाव प्रक्रिया दिसम्बर माह तक पूर्ण कर ली जायेगी। एकलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की गयी है। जबलपुर निवासी राधे श्याम अग्रवाल की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा पंजीकृत स्नातक का चुनाव नहीं कराया जा रहा है। याचिका में कहा गया था कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में 15 प्रतिशत स्थान पूर्व छात्रों स्नातकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए है। जिसके लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्ति को विश्वविद्यालय में खुद को पंजीकृत कराना आवश्यक है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी पंजीकृत स्नातक का चुनाव नहीं कराए जाने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी है। विश्वविद्यालय में पूर्व छात्रों को प्रतिनिधित्व नहीं देना विश्वविद्यालय एक्ट का उल्लंघन है। याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विश्वविद्यालय के कुलपति तथा रजिस्ट्रार को तलब किया था। विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश वर्मा व रजिस्ट्रार ने एकलपीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उक्त जानकारी दी। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अंकित अग्रवाल ने पैरवी की।

पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम तो पहले से ही सभी को पता थे...

शहर प्रवास पर आए वरिष्ठ कांग्रेसी अजय सिंह राहुल

पश्चिम बंगाल की घटना को बताया गलत

नवभारत, जबलपुर। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भाजपा ने देश की मशीनरी झोंकी थी, और जैसा चुनाव लड़ा, उसके बाद से ही सभी जानते थे कि वहां का चुनाव परिणाम क्या आने वाला है। और जो चुनाव के बाद परिणाम सामने आया उसे भारत के हर नागरिक ने वैसा ही सोचा था। पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं घटित हो रहीं हैं वो उचित नहीं है। हमारे देश में प्रजातंत्र का राज रहा है, वो बना रहे, ये हर भारतीय के लिए अच्छा है। ये सारी बातें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने जबलपुर प्रवास पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहीं।

इस दौरान उनसे पूछा गया कि आपका अचानक जबलपुर दौरे के पीछे की मुख्य वजह क्या है जिस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वे जबलपुर वरिष्ठों से मुलाकात को निकले हैं। इसमें सिर्फ मुलाकात हो रही है, राजनीति की हमारी मुलाकात में कोई गुंजाइश नहीं है।

आने वाला समय बताएगा किसका कितना असर हुआ वहीं राहुल गांधी की स्टैंड को लेकर उन्होंने कहा कि उनका जो स्टैंड होगा, वो एक-एक कार्यकता का स्टैंड होगा। इस दौरान बंगाल के चुनाव परिणाम का मप्र में क्या असर होगा, पूछने पर उन्होंने कहा कि मप्र के चुनाव के लिए अभी तो समय है। समय आएगा तब देखेंगे किसका कितना असर होता है।

केंद्रीय मंत्री ने शहर पहुंचकर की बंगाल हिंसा की निंदा

नवभारत, जबलपुर। पश्चिम बंगाल में लगातार सामने आ रही राजनीतिक हिंसा की घटनाओं को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने राज्य में हो रही हिंसा को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र और कानून व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है। गुरूवार को शहर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान जुएल आरोम ने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में हाल के दिनों में जिस प्रकार हिंसा, हत्याएं और राजनीतिक टकराव की घटनाएं बढ़ी हैं, वह बेहद चिंताजनक हैं। और वे इसकी कड़ी निंदा करते हैं। लिहाजा केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने भरोसा दिलाया है कि हालिया हत्याकांड और हिंसक घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

ममता बैनर्जी पर सीधा हमला-ममता बैनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए जुएल ओराम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति कोई नई बात नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लंबे समय से राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया गया है और आज भी वही स्थिति बनी हुई है। ओराम ने कहा कि बीजेपी की चुनावी सफलता और बढ़ते जनाधार से तृणमूल कांग्रेस घबराई हुई है। इसी वजह से टीएमसी समर्थकों द्वारा हिंसा और डर का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है।

दिव्यागों के लीगल गार्जियन सर्टिफिकेट की कार्यवाही पूरी

नवभारत, जबलपुर। जिला लोकल लेवल कमेटी की बैठक गुरूवार को जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, सामाजिक न्याय विभाग में आयोजित की गई। इसमें 8 मानसिक एवं बहुविकलांग दिव्यांगजनों के लीगल गार्जियन सर्टिफिकेट संबंधी कार्यवाही पूर्ण की गई और सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े प्रकरणों पर भी आवश्यक कार्रवाई की गई। इस अवसर पर सहायक संचालक सामाजिक न्याय सोनम बर्वे, एलएलसी सदस्य रजनीश अग्रवाल, अधिवक्ता शुभांकोरी बैनर्जी, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र से विनय द्विवेदी सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि जिन परिवारों को मानसिक एवं बहुविकलांग दिव्यांगजनों के लिए लीगल गार्जियनशिप सर्टिफिकेट बनवाना हो, वे कार्यालय संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, घमापुर रोड, बाई का बगीचा, लालमाटी में संपर्क कर सकते हैं।

किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए

किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के आंदोलन पर भड़के विधायक

किसानों को भ्रमित कर राजनीतिक लाभ लेना चाह रही कांग्रेस

नवभारत, जबलपुर। कांग्रेस को किसानों के मुद्दे पर आंदोलन नहीं, बल्कि अपने शासन के दौरान किसानों से किये अपने छल, झूठ और वादाखिलाफी के लिए माफी मांगनी चाहिए और किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि कांग्रेस शासनकाल में किसानों को समर्थन मूल्य पर उपज बेचने की व्यवस्थित सुविधा क्यों नहीं मिलती थी, जबकि भाजपा सरकार बनने के बाद किसानों को सम्मान, बेहतर समर्थन मूल्य और सुविधाएं मिलीं। ये तीखी प्रतिक्रिया भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता व विधायक नीरज सिंह लोधी ने गुरूवार को भाजपा संभागीय कार्यालय रानीताल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान दीं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और उसके नेता किसानों को भ्रमित कर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश का किसान अब कांग्रेस की सच्चाई पहचान चुका है। कांग्रेस अब तो ये बताए कि उसने अपने शासनकाल में किसानों के हित में कौन-से स्थायी और ऐतिहासिक निर्णय लिए थे? नीरज ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को किसानों के मुद्दे पर आरोप लगाने से पहले अपनी पार्टी की 15 महीने की सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए।

किसान हितैशी बनने का प्रयास कर रही कांग्रेस

विधायक नीरज सिंह ने दो टूक ये भी कहा कि मुलताई में 24 किसानों को गोलियों से भूनने वाली कांग्रेस आज किसान हितैशी बनने का प्रयास कर रही है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने किसानों से कर्जमाफी का वादा कर लाखों किसानों को डिफॉल्टर बना दिया था। वहीं भाजपा सरकार ने किसानों को ब्याज की राहत देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाया है।इतना ही नहीं मध्यप्रदेश की किसान हितैशी भाजपा सरकार की नीतियों के कारण केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान भी कई बार मध्यप्रदेश को कृषि कर्मण अवॉर्ड प्राप्त हो चुका है। अब तक कुल सात बार कृषि कर्मण अवार्ड केंद्र सरकार मध्यप्रदेश को दे चुकी है।

मुख्यमंत्री का डुमना एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत

नवभारत, जबलपुर। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का गुरूवार दोपहर 1.26 बजे वायुयान द्वारा डुमना एयरपोर्ट जबलपुर पर आगमन हुआ। इस दौरान विधायक अशोक रोहाणी, डॉ अभिलाष पांडे, महापौर जगत बहादुर अन्नू, नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज विज, भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, ग्रामीण अध्यक्ष राजकुमार पटेल, प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन सहित गणमान्य व्यक्तियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ यादव एयरपोर्ट पर कुछ समय रुकने के बाद दोपहर 1.53 बजे हेलीकॉप्टर से मंडला जिले के निवास के पास स्थित खिन्हा रैयत हेलिपैड के लिए रवाना हुए।

न्यायालय ने ओमती थाना प्रभारी व एएसआई को लताड़ा था, नए सिरे से हुई कायमी

कोर्ट में फर्जी लिफाफा किया पेश पांच पर एफआईआर दर्ज

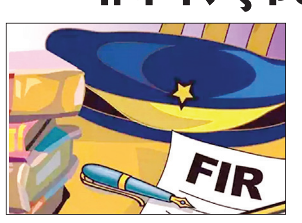

जबलपुर। हाईकोर्ट में फर्जी लिफाफा पेश करने के मामले में पुलिस ने पांच के खिलाफ नए सिरे से एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल वैवाहित विवाद पर ससुराल पक्ष ने एक आपराधिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था, जिसमें हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय के नाम से फर्जी लिफाफा तैयार कर यह दर्शाया गया कि याचिकाकर्ता को नोटिस मिल चुका है। इसी फर्जीवाड़े के आधार पर एकपक्षीय आदेश प्राप्त कर लिया गया था। बाद में जब याचिकाकर्ता को इस कथित फर्जीवाड़े की जानकारी हुई, तब उसने रजिस्ट्रार हाईकोर्ट के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी लेकिन हाईकोर्ट के जस्टिस बीपी शर्मा की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि न्यायिक आदेशों का पालन महज औपचारिकता निभाने या दिखावा करने तक सीमित नहीं हो सकता। एकलपीठ ने ओमती थाना में दर्ज एफआईआर अपूर्ण, भ्रामक और अदालत के आदेश की भावना के विरुद्ध पाते हुए निरस्त कर दी थी साथ ही पुलिस को निर्देश दिया जाता था कि नए सिरे से सही एफआइआर दर्ज करें। कोर्ट ने के पूर्व निर्देश के पालन में ओमती थाना प्रभारी व एएसआई को लताड़ा भी था। मामले में अब नए सिरे से पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

विदित हो कि याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी वीरेंद्र पांडे की ओर से याचिका दायर की गई थी। दलील दी गई थी कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में पदस्थ हैं और उसका वैवाहित विवाद चल रहा है। ससुराल पक्ष ने एक आपराधिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था, जिसमें हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय के नाम से फर्जी लिफाफा तैयार कर यह दर्शाया गया कि याचिकाकर्ता को नोटिस मिल चुका है। इसी फर्जीवाड़े के आधार पर एकपक्षीय आदेश प्राप्त कर लिया गया। बाद में जब याचिकाकर्ता को इस कथित फर्जीवाड़े की जानकारी हुई, तब उसने रजिस्ट्रार हाईकोर्ट के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत पर रजिस्ट्रार जनरल के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश (चतुर्थ) जबलपुर द्वारा प्रारंभिक जांच कराई गई, जिसमें संबंधित लिफाफे के फर्जी होने की पुष्टि हुई थी। इसके पश्चात प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर ने अपने पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को एफआईआर दर्ज कराने व सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की थी। याचिकाकर्ता ने थाने में शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब उन्होंने न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया था। मजिस्ट्रेट ने थाना ओमती को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। लेकिन पुलिस ने एफआईआर के नाम पर महज औपचारिकता की पूर्ति की गई थी। आरोपियों के नाम, पते में नरसिंहपुर, ओमती, जबलपुर सहित अन्य त्रुटियां की गईं। ऐसा इसलिए ताकि भौगोलिक परेशानी सामने आए और जांच ठप रहे। जिसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त कर नए सिरे से एफआईआर दर्ज करने आदेश दिया था। जिसके बाद याचिकाकर्ता की पत्नी शिल्पा पाण्डेय, सास मधुलता दुबे, साले शिवांक दुबे, जिठसास शिवानी चतुर्वेदी व साढूभाई अनूप चतुर्वेदी को आरोपी आरोपी बनाया गया है।

तबादले के बाद 5 जोन के जिले में बचे 4 एएसपी, एसपी ने एएसपी स्तर पर बदलीं जिम्मेदारियां

जबलपुर। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने और पुलिसिंग में कसावट लाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने एएसपी स्तर की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के बीच थानों और अनुभागों का नए सिरे से आवंटन किया गया है। शहर और ग्रामीण अंचल को पांच जोनों में पहले से ही बांटा गया है लेकिन 2 मई को पुलिस महकमे में हुए बदलाव के बाद शहर एएसपी रहे आयुष गुप्ता का तबादला कर पुलिस उपायुक्त जोन 3 नगरीय भोपाल बनाया गया है। इसके बाद से पांच जोन वाले जिले में एक एएसपी का पद रिक्त बढ़ा हुआ है और चार एएसपी है। नई कार्ययोजना के अनुसार पूरे जिले को चार एएसपी के जिम्मे पांच प्रमुख कार्यक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जोन-1 एएसपी सिटी का प्रभार क्राइम एएसपी जिते न्द्र सिंह को सौंपा गया है। जि न्हें कोतवाली, लार्डगंज, मदनमहल, ओमती, बेलबाग, सिविल लाइन, गोहलपुर हनुमानताल, घमापुर, माढ़ोताल, विजय नगर, रांझी और खमरिया की जिम्मेदारी होगी। साथ ही, डायल-112 और सीसीटीवी नेटवर्क की निगरानी, पुलिस लाइन, कानून, शांति व्यवस्था, विशेष शाम, कंट्रोल रूम की भी इनके जिम्मे रहेगी। इसके अलासा सीसीटीएनएस नोडल अधिकारी की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जोन-2 एएसपी सुश्री पल्लवी शुक्ला को गोरखपुर, संजीवनी नगर, ग्वारीघाट, गढ़ा, तिलवारा, अजाक थाना के साथ-साथ महिला थाना का विशेष प्रभार सौंपा गया है। वह प्रभारी प्रोटोकॉल लाईजनिंग, नोडजल अधिकारी पॉक्सो एक्अ, प्रभारी वेलफेयर, महिला हेल्प डेस्क और ऊर्जा डेस्क के कार्यों का नेतृत्व करेंगी। ग्रामीण सुरक्षा कमान एएसपी सूर्यकांत शर्मा जोन 3 को ग्रामीण इलाकों पाटन, कटंगी, शहपुरा, बेलखेड़ा, सिहोरा, मझौली, मझगवां, खितौला, गोसलपुर, बरेला, कुंडम की जिम्मेदारी दी गई है। इनका फोकस चुनाव से विस, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, आर्म्स एक्ट अपराध, कर्मचारी के विरुद्ध दर्ज अपराध संबंधी मामलों में रहेगा। इसी प्रकार यातायात एएसपी जोन 4 अंजना तिवारी को शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने का जिम्मा है। जिन्हें मालवीय चौक और गढ़ा, घमापुर यातायात थाना एवं केंट, गोराबाजार, बरगी, भेड़ाघाट, चरगवां थाना दिया गया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायत शाखा, सीएम हेल्पलाइन, आलम्बन शाखा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिटी एएसपी की जिम्मेदारी के साथ जोन 5 एएसपी जितेन्द्र सिंह को साइबर सेल, अपराध थाना, एनडीपीएस प्रकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं साथ ही संपत्ति अपराध, चिन्हित अपराध का नोडल अधिकारी बनाया गया है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57